

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

क्रमांक ..... B/7923 /

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक 31/10/2023

II-14-22/20

श्रीमती नैना वरकड़े, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को Maternity Benefit Act, 1961 के क्रमांक 3 एवं म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38 के अनुसार संभावित प्रसूति दिनांक 28.10.2023 के पूर्व दिनांक 29.09.2023 से 26.03.2024 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार  
सही / -  
(रामकुमार चौबे)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/7924 /

जबलपुर, दिनांक 31/10/2023

II-14-22/20

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 4232/स्था. ग्वालियर, दिनांक 20/09/2023 के संदर्भ में श्रीमती नैना वरकड़े, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र मूलतः तथा चिकित्सा पर्ची की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)